छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 475/2002

अपीलार्थीगण (जेल में) : **1. गुलाब खान पिता मंसूर अहमद, उम्र 22 वर्ष, निवासी अमीनपुर, थाना कटरील, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)**

2. विनोद कुमार पिता अनंद नाग आयु 21 वर्ष, निवासी संजय नगर, बोधघाट, जगदलपुर (छ.ग.)

3. शब्बीर उर्फ शब्बू पिता हुसैन बेग आयु 19 वर्ष निवासी जवाहर नगर जगदलपुर (छ.ग.)

4. मिनाज खान उर्फ गुड्डू पिता नूरुद्दीन, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी मस्जिद के पास, गीदन, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य.

अपील ज्ञापन अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता

खंड न्यायपीठ :-

माननीय श्री एल.सी.भादू एवं
माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा न्यायमूर्ति गण

22-02-2007

अपीलार्थीगण की ओर से श्री वाई.सी. शर्मा अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी की ओर से श्री अखिल मिश्रा पैनल अधिवक्ता

डायस पर मौखिक निर्णय सुनाया गया।

एल.सी.भादू न्यायमूर्ति.-

यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 351/2001 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार द्वारा पारित दिनांक 12-04-2002 के दोषसिद्धि और दण्ड के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण गुलाब खान, विनोद कुमार, शब्बीर उर्फ शब्बू और मिनाज खान उर्फ गुड्डू को भा.द.सं. की धारा 397 और 302 के अंतर्गत अपराध करने के लिए दोषी ठहराते हुए, सभी अभियुक्तगण को सात वर्ष का सश्रम कारावास और आजीवन कारावास और 500/- रुपये का अर्थदण्ड भरने का दण्ड सुनाया, अर्थदण्ड न भरने पर छः माह के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि मृतक संतोष कश्यप, निवासी जगदलपुर, टाटा सूमो वाहन, जिसका पंजीकरण क्रमांक MP-23/G-5230 था, के चालक के रूप में कार्यरत था। इस वाहन की पंजीकृत स्वामी अ.सा.-17 यूसुफ शेरवानी की पत्नी जेतुन शेरवानी थी। उक्त वाहन दिनांक 25-05-1999 को जगदलपुर से बिलासपुर के लिए किराए पर लिया गया था और अगले दिन संतोष कश्यप का शव सिमगा के पास सरोरा सांकरा पीडब्ल्यूडी रोड पर एक पुलिया के पास मिला। गोपीदास (अ.सा.-3), कोटवार द्वारा थाना सिमगा में मर्ग सूचना प्र.पी-5 दी गई कि सुबह लगभग 8 बजे जब वह तालाब से नहाकर अपने घर लौट रहा था, तो ग्राम सरपंच सनत ठाकुर ने उसे सूचना दी कि सरोरा सांकरा रोड पर एक पुलिया के पास एक शव पड़ा है, जिस पर उसने मौके पर जाकर देखा तो लगभग 25-30 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति का शव पड़ा था।

इस मर्ग सूचना प्राप्त होने के बाद, थाना प्रभारी, पुलिस थाना: सिमगा, घटनास्थल के लिए रवाना हुए और पंचों को सूचना प्र.पी.-6 देने के बाद, उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के शव पर मृत्यु समीक्षा प्र.पी.-7 तैयार किया। प्र.पी.-8 के अंतर्गत, उन्होंने एक खाली माचिस, एक पॉकेट कंघी और 5 आधे जले बीड़ी जब्त किए। उन्होंने प्र.पी.-9 के तहत एक बेल्ट, रॉयल क्लब कंपनी के एक जोड़ी जूते, सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी भी जब्त किया। उन्होंने प्र.पी.-10 के तहत मृतक की दोनों मुट्ठियों में लगे बालों के टुकड़े भी जब्त किए। मेकाहारा अस्पताल द्वारा दिए गए मृतक के कपड़े प्र.पी.-11 के तहत जब्त किए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा अस्पताल, रायपुर भेजा गया, जहां डॉ अरविंद नेरलवार ने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने मत

दिया कि मृत्यु सिर में चोट आने से कोमा के कारण हुई है और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी.-27 तैयार किया। घटनास्थल का स्थल मानचित्र प्र.पी.-25 हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया। देहाती नालिशी प्र.पी-35 सत्येंद्र पांडे, थाना प्रभारी, पुलिस थाना सिमगा द्वारा दिया गया, जिस पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-36 पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान, अभियुक्तगण शब्बीर बेग, गुलाब, मिनाज खान और विनोद कुमार के बाल क्रमशः प्र.पी-1 से प्र.पी-4 के अंतर्गत जब्त किया गया था। पुलिस हिरासत के दौरान, अभियुक्त शब्बीर बेग ने मेमोरेंडम प्र.पी-12 दिया और उसके अनुसरण में, प्र.पी-17 के अंतर्गत 1,280/- रुपये और खून से सनी एक फुल शर्ट जब्त की गई। अभियुक्त विनोद कुमार ने मेमोरेंडम प्र.पी-13 दिया और उसके अनुसरण में प्र.पी-18 के अंतर्गत 2,000/- रुपये जब्त किया गया। अभियुक्त मिनाज खान ने मेमोरेंडम प्र.पी-14 दिया और उसके अनुसरण में, प्र.पी-19 के अंतर्गत 10,000/- रुपये और 1,500/- रुपये मूल्य की एक सोने की अंगूठी जब्त की गई। अभियुक्त गुलाब खान ने मेमोरेंडम प्र.पी-14A दिया और उसके अनुसरण में, प्र.पी-20 के अंतर्गत 10,500/- रुपये की राशि और एक फुल शर्ट जब्त किया गया और एक कटार प्र.पी-23 के अंतर्गत जब्त किया गया। अभियुक्त राज नारायण ने मेमोरेंडम प्र.पी-15 दिया और उसके अनुसरण में प्र.पी-21 के अंतर्गत 700/- रुपए जब्त किए गए तथा एक एयर बैग प्र.पी-22 के अंतर्गत जब्त किया गया। जब्त कपड़ों को रासायनिक परीक्षण हेतु फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहां से परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 10-09-1999 को प्राप्त हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी, बलौदा बाज़ार के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को रायपुर के अपर सत्र न्यायाधीश को उपार्पित कर दिया, जहाँ से प्रकरण विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाज़ार को विचारण हेतु स्थानांतरण से प्राप्त हुआ। हालाँकि, अभियुक्त राज नारायण और चुन्नू उर्फ मोबिन को जमानत मिल गई थी और उन्होंने जमानत का अतिलंघन किया था। इसलिए, वर्तमान चारों अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोग चलाया गया।

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 18 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तगण के साक्ष्य दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अभिलिखित किए गए थे, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उनके विरुद्ध दर्शित सामग्री से इनकार किया, उन्होंने निर्दोष होने का अभिवचन किया एवं कथन किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात दोषसिद्ध होना पाया तथा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को उपर्युक्तानुसार दंड सुनाया गया ।

हमने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वाई.सी. शर्मा और राज्य/उत्तरवादी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा द्वारा प्रस्तुत तर्क सुना है।

प्रारंभ में, श्री वाई.सी. शर्मा ने संतोष कश्यप की हत्या से इनकार नहीं किया है। इसके अलावा, डॉ. अरविंद नेरलवार (अ.सा.-12) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 27-05-1999 को जब वे रायपुर के मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक साइंस विभाग में डेमोंस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे थे उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम किया और बाएं कान और चेहरे के बाईं ओर 5

सेमी x 3 सेमी के आकार का हड्डी में गहरा घाव था; चेहरे के दाहिने ओर 8 सेमी x 3 सेमी के आकार का चोट और घर्षण था। निचले जबड़े का फ्रैक्चर; छाती के दाईं ओर और दाहिने कंधे पर 10 सेमी x 4 सेमी के आकार का खरोंच और चोट; चेहरे के दाईं ओर 3 सेमी x 2 सेमी के आकार का खरोंच और चोट; थायरॉइड कार्टिलेज पर नायलॉन की रस्सी के 0.75 सेमी से 1.25 सेमी चौड़े निशान थे। ये निशान एक-दूसरे के कोनों से जुड़े हुए थे, निशान क्षैतिज थे और ये निशान मृत्यु के बाद के थे। टेम्पोरल पैरिएटल अस्थि में फ्रैक्चर था और टेम्पोरल पार्श्व क्षेत्र में रक्तस्राव हुआ था। मृत्यु का कारण सिर में चोट लगने के कारण कोमा था। उपरोक्त चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। इसलिए, यह सिद्ध होता है कि मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

जहाँ तक संबंधित अपराध में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की संलिप्तता का प्रश्न है, इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। स्थापित विधि के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **धनंजय चटर्जी विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एससीसी 220** प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि:

> **"परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की हों और केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप हों। ये परिस्थितियाँ अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकतीं और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप विश्वास के लिए कोई उचित आधार न बचे। यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि विधिक रूप से स्थापित परिस्थितियाँ और केवल न्यायालय का प्रकोप ही दोषसिद्धि का आधार बन सकता है और अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्य की जाँच में उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि संदेह प्रमाण का स्थान ले ले।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तगण को संबंधित अपराध से जोड़ने का प्रयास किया है: -

1. मृतक संतोष कश्यप ने टाटा सूमो जीप लेते समय अपने मालिक यूसुफ शेरवानी (अ.सा.-17) को बताया कि उसके मित्र विनोद कुमार को उसके अधिकारी के परिवार को बिलासपुर ले जाने के लिए वाहन आवश्यकता थी;
2. कि, अभियुक्त विनोद कुमार ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मेमोरेंडम प्र.पी-13 दिया और उसके अनुसरण में, वाहन की बिक्री राशि में से 2,000/- रुपये प्र.पी-18 के तहत जब्त किए गए;

3. कि, अभियुक्त गुलाब खान ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मेमोरेंडम प्र.पी-14ए दिया और उसके अनुसरण में, वाहन की बिक्री राशि में से 10,500/- रुपये की राशि प्र.पी-20 के तहत जब्त की गई और कटार के आकार का एक लोहे का पट्टा प्र.पी-23 के तहत जब्त किया गया;
4. कि, अभियुक्त शब्बीर ने पुलिस अभिरक्षा में वाहन की बिक्री राशि 4,000/- रुपये के संबंध में मेमोरेंडम प्र.पी-12 दिया और उसके अनुसरण में, वाहन की बिक्री राशि में से 1,280/- रुपये और खून से सनी एक फुल शर्ट प्र.पी-17 के तहत जब्त की गई; और
5. कि, अभियुक्त मिनाज़ खान ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए वाहन की बिक्री राशि 15,000/- रुपये के संबंध में मेमोरेंडम प्र.पी-14 दिया और उसके अनुसरण में, वाहन की बिक्री राशि से खरीदी गई 10,000/- रुपये की एक सोने की अंगूठी को प्र.पी-19 के तहत जब्त किया गया।

पहली बात यह है कि मृतक संतोष कश्यप ने गाड़ी लेते समय गाड़ी के मालिक यूसुफ शेरवानी (अ.सा.-17) को बताया था कि यह गाड़ी उसके दोस्त अभियुक्त विनोद कुमार को अपने मालिक के परिवार को बिलासपुर ले जाने के लिए चाहिए। यूसुफ शेरवानी का अ.सा.-17 के रूप में परीक्षण किया गया। अपने साक्ष्य में उसने कथन किया है कि घटना दिनांक को समय शाम को वह अपनी दुकान पर था, लगभग 7 बजे संतोष कश्यप उनके पास आया और कहा कि उसका एक मित्र है जिसका नाम विनोद नाग है जो सरकारी वाहन का ड्राइवर है, विनोद नाग का वाहन खराब हो गया है, इसलिए उनके मालिक के परिवार को बिलासपुर ले जाने के लिए वाहन की आवश्यकता है जिस पर उन्होंने संतोष कश्यप को सूचित कर वाहन ले जाने की अनुमति दे दी। संतोष कश्यप वाहन लेकर चला गया, लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा, न ही उसकी कोई सूचना मिली, इसलिए उसने उसके परिवार वालों से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। वह पुलिस थाना बोधघाट गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद उसने संतोष कश्यप की फोटो देखी और वह फोटो उसके भाई के पास ले गए, जो शव लेने के लिए पुलिस थाना सिमगा आए थे। इसके बाद संतोष कश्यप के भाई ने आकर उन्हें बताया कि शव उनके भाई का है। टाटा सूमो वाहन का तब तक कोई पता नहीं चला। साक्षी यूसुफ शेरवानी (अ. सा.-17) ने अपने प्रतिपरीक्षण कथन किया कि पुलिस बयान देते समय उसने विनोद का नाम शायद नहीं बताया होगा। संतोष कश्यप ने उससे पूछा था कि जगदलपुर निवासी उसके ड्राइवर दोस्त को अपने मालिक के परिवार को बिलासपुर ले जाने के लिए यह गाड़ी चाहिए। उसने आगे कथन किया कि उसे तब तक विनोद का नाम नहीं पता था।

अब, प्रश्न यह है कि क्या इस साक्षी (अ.सा.-17) के उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम हो पाया है कि अभियुक्त विनोद कुमार ही वह व्यक्ति था, जिसने अपने मालिक के परिवार को ले जाने के उद्देश्य से वाहन लिया था।

यूसुफ शेरवानी (अ.सा.-17) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह विनोद नाग का नाम नहीं जानता था, लेकिन उसे देखने का एक अवसर मिला था। यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त विनोद ही वह व्यक्ति था जिसने वाहन लिया था, अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध साक्ष्य का सबसे अच्छा भाग यूसुफ शेरवानी (अ.सा.-17) द्वारा पुलिस स्टेशन: बोधघाट में दर्ज

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कराई गई रिपोर्ट थी जब संतोष कश्यप 3-4 दिनों तक वापस नहीं आया था। यदि अभियुक्त विनोद ने वाहन लिया था और मृतक संतोष कश्यप ने यूसुफ शेरवानी (अ.सा.-17) को इसके बारे में सूचित किया था, तो उस तथ्य का उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट यह स्थापित करने के लिए साक्ष्य का सबसे अच्छा भाग होता कि क्या संतोष कश्यप ने बिलासपुर जाने से पहले यूसुफ शेरवानी (अ.सा.-17) को सूचित किया था कि उनके दोस्त विनोद, अभियुक्त/अपीलार्थी को अपने मालिक के परिवार को बिलासपुर ले जाने के उद्देश्य से वाहन की आवश्यकता है और इसीलिए वह वाहन ले जा रहा है। उस रिपोर्ट को दबाने के कारण अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह से पता हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अन्य परिस्थिति जिसके द्वारा अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण को प्रश्नाधीन अपराध में संयोजित करने का प्रयास किया है, वह यह है कि संतोष कश्यप की हत्या के पश्चात, टाटा सूमो वाहन को ले जाकर उत्तर प्रदेश में कहीं और 50,000/- रुपये में विक्रय कर दिया गया था, जिसमें से अभियुक्त विनोद के मेमोरेंडम प्र.पी.-13 के अनुसार, 4,000/- रुपये उसके हिस्से में आए। यह बताया गया है कि उक्त राशि 4,000/- रुपये, में से 2,000/- रुपये की राशि, अभियुक्त से प्र.पी.-18 के अंतर्गत बरामद किए गए। सनत कुमार (अ.सा.-5) और जगन्नाथ यदु मेमोरेंडम और जब्ती ज्ञापन के स्वतंत्र साक्षी थे।

प्रथम दृष्टया, अन्वेषण अधिकारी सत्येंद्र पांडे, जिन्होंने उक्त मेमोरेंडम अभिलिखित किया था और राशि बरामद की थी, से अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी अभियोजन पक्ष ने परीक्षण नहीं किया, केवल निरीक्षक ए.एस. खान (अ.सा.-16) का परीक्षण कराया गया, जिन्होंने केवल यह कहा है कि जब्ती ज्ञापन और मेमोरेंडम पर सत्येंद्र पांडे के हस्ताक्षर हैं। इसलिए, वस्तुतः न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष का साक्ष्य कि क्या इस अभियुक्त (विनोद कुमार) ने मेमोरेंडम प्र.पी.-13 को इस आशय का दिया था कि वाहन की बिक्री राशि में से उसके हिस्से में आए 4,000/- रुपये उसके पास रखे गए थे और वह उसे बरामद कर सकता था, सत्येंद्र पांडे के परीक्षण से यह सिद्ध नहीं हुआ है, कि किसके समक्ष खुलासा किया गया था। ऐसा नहीं है कि सत्येंद्र पांडे जीवित नहीं थे या उन्हें पेश करना संभव नहीं था, जो एक लोक सेवक थे। इसके अतिरिक्त, इस मेमोरेंडम में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उसने 4,000/- रुपये कहां रखे थे। यहां तक कि चालक अनुज्ञप्ति और बटुआ जो चिल्फी घाटी में फेक देना बताया गया था, वह भी बरामद नहीं हुआ था। स्वतंत्र साक्षियों अर्थात, सनत कुमार और जगन्नाथ यदु में से केवल सनत कुमार का ही अ.सा.-5 के रूप में परीक्षण कियाी गया है। सनत कुमार का साक्ष्य इस प्रकार है कि पुलिस ने अभियुक्तगण के कथन पहले ही अभिलिखित कर लिए थे, उसके समक्ष अभियुक्त का कोई कथन अभिलिखित नहीं किया गया और मेमोरेंडम प्र.पी.-13 पर उसके हस्ताक्षर हैं, उससे हस्ताक्षर के बारे में पूछे जाने पर, पुलिस अधिकारी ने कहा कि "अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम यहाँ हस्ताक्षर करो", इसीलिए उसने हस्ताक्षर किए। उसने आगे कहा है कि अभियुक्त विनोद कुमार से केवल 1,000/- रुपये जब्त किए गए थे। उसने कहीं भी यह नहीं बताया कि यह किस स्थान से जब्त किया गया था। इसके अलावा, जब्ती ज्ञापन में उल्लेखित 2,000/- रुपये जब्त किए गए थे, जबकि इस साक्षी ने कहा है कि केवल 1,000/- रुपये जब्त किए गए थे।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपरोक्त कारणों से, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि अभियुक्त द्वारा मेमोरेंडम प्र.पी.-13 दिया गया था और उसके अनुसरण में अभियुक्त से धनराशि बरामद की गई थी। इसके अतिरिक्त, 2,000/- रुपये मूल्य के नोट भी बरामद किए गए थे। इन परिस्थितियों में, अप्रमाणित बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को विचाराधीन अपराध से जोड़ना कठिन है। अभियोजन पक्ष को इस आशय के साक्ष्य प्रस्तुत करने थे कि अभियुक्त द्वारा किस प्रकार की जानकारी दी गई थी। अन्वेषण अधिकारी जिसके समक्ष सूचना दी गई थी, उसे अभियुक्त के द्वारा घटना संबंधित बरामदगी की जानकारी के संबंध में, अभियुक्त के शब्दों में ही कथन अभिलिखित किया जाना चाहिए था। न तो उस अधिकारी, जिसके समक्ष मेमोरेंडम दिया गया था और उसके द्वारा की गई जब्ती का परीक्षण किया गया, और न ही स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया। अतः, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ने के लिए कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त विनोद कुमार को प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों को सिद्ध नहीं कर पाया है।

अब, अभियुक्तगण गुलाब खान, शब्बीर उर्फ शब्बू और मिनाज खान गुड्डू की बात करें, जिनके खिलाफ एकमात्र परिस्थिति यह है कि अभियुक्त गुलाब खान ने ज्ञापन प्र.पी.-14ए दिया था, जिसके अनुसरण में 10,500/- रुपये की राशि और कटार के रूप में एक लोहे का पट्टा क्रमशः प्र .पी.-20 और प्र.पी.-23 के अनुरूप बरामद किया गया था। अभियुक्त शब्बीर उर्फ शब्बू ने मेमोरेंडम प्र.पी.-12 दिया, जिसके अनुसरण में प्र.पी.-17 के अंतर्गत 1,280/- रुपये और एक फुल शर्ट बरामद की गई। अभियुक्त मिनाज खान उर्फ गुड्डू ने 15,000/- रुपये के संबंध में मेमोरेंडम प्र.पी.-14 दिया, जिसमें से प्र.पी.-19 के अंतर्गत केवल 10,000/- रुपये और एक सोने की अंगूठी ही जब्त की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन पक्ष इन ज्ञापनों और बरामदगी को उसी आधार पर स्थापित करने में विफल रहा है जिसका उल्लेख अभियुक्त विनोद कुमार के प्रकरण में किया गया है, कारण यह है कि ये मेमोरेंडम सत्येंद्र पाण्डेय के समक्ष दिए गए थे और उनके द्वारा बरामदगी भी की गई थी, उनसे परीक्षण नहीं की गई है और मेमोरेंडम, वसूली और अभियुक्तगण द्वारा मेमोरेंडम के संबंध में अभियुक्तगण द्वारा कहे गए वास्तविक शब्दों को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। दो स्वतंत्र साक्षियों में से जिनके समक्ष मेमोरेंडम और बरामदगी की गई थी एक साक्षी संत कुमार (अ.सा.-5) का परीक्षण किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उसने कहा है कि उसके पहुंचने से पहले ही पुलिस ने अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध कर लिए थे, उनके कथन उसके समक्ष अभिलिखित नहीं किए गए थे। प्र.पी.-12, पी-13, पी-14 और पी-15 में उनके हस्ताक्षर हैं जो उन्होंने पुलिस अधिकारी के कहने पर किए थे। उसने यह भी कथन किया कि जब्ती ज्ञापनों पर उसके हस्ताक्षर है, परंतु उसने यह कथन नहीं किया कि घटना के संबंध में अभियुक्तगण से राशि और वस्तुएं बरामद किए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण की निशानदेही पर की गई बरामदगी और मेमोरेंडम को साबित करने के लिए वस्तुतः कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, केवल बरामद की गई राशि के आधार पर अभियुक्तगण को प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ना कठिन है, क्योंकि यह अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने के लिए एक बहुत ही कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य है। जब तक बरामद की गई राशि इतनी बड़ी न हो कि अभियुक्त

अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कब्जे का स्पष्टीकरण न दे सके या कोई विशिष्ट चिह्न न हो या नोटों की संख्या न दी गई हो या जिस व्यक्ति को, या जिसकी उपस्थिति में वाहन बेचा गया था, वह आगे आकर यह सिद्ध न कर दे कि अभियुक्तगण ने उन्हें या उनकी उपस्थिति में वाहन बेचा था और उसके बदले अभियुक्तगण को धन दिया गया था या लूटे गए वाहन की बिक्री के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत न किया गया हो, तब तक अभियुक्तगण को प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ना संभव नहीं होगा।

इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई एफएसएल प्रतिवेदन नहीं है कि अभियुक्तगण के कटार और फुल शर्ट पर किसी मानव रक्त, वह भी मृतक के रक्त समूह का, मौजूद था, जिससे उन्हें प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ा जा सके।

उपरोक्त कारणों से, भारतीय दंड संहिता की धारा 397 और 302 के तहत अपराध कारित करने के लिए अभियुक्तगण को दोषी ठहराने और दण्ड देने का विचारण न्यायालय का निर्णय स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि अभियुक्तगण को प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ने वाला कोई विधिक और निर्णायक परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है।

इस स्तर पर, हम यहाँ यह उल्लेख करना चाहेंगे कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत आरोप विरचित किए हैं और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है और दण्डादेश दिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 397 कोई मूल अपराध नहीं है। यह न्यूनतम दंड निर्धारित करता है ''जब डकैती या लूटपाट करते समय अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, ऐसे अपराधी को दी जाने वाली कारावास का दण्ड सात वर्ष से कम नहीं होगी।'' इसलिए, मूल आरोपित अपराध या तो भा.दं.सं. की धारा 395 या 392 होना चाहिए। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को भा.दं.सं. की धारा 397 के साथ सहपठित धारा 395 के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित करना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और उसे स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण गुलाब खान, विनोद कुमार, शब्बीर उर्फ शब्बू और मीनाज़ खान उर्फ गुड्डू को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 और 302 के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। उन्हें उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण गुलाब खान, शब्बीर उर्फ शब्बू और मीनाज़ खान उर्फ गुड्डू पहले से ही जमानत पर हैं, उनके जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए गए हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त/अपीलकर्ता विनोद कुमार दिनांक 15-06-1999 से निरुद्ध हैं, यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

हस्ता./- हस्ता./-

श्री एल.सी. भादू न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र मिश्रा न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur